छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
डब्लू पी एस नंबर –3097 (2015)

1– श्रीमती ममता भार्जे, पति– स्व० श्री अंबिका लाल भार्जे, उम्र–25 वर्ष , ग्राम –खुसरू पाली, तहसील बसना, जिला–महासमुन्द वर्तमान पता ग्राम– सपोस मेढ़ापाली, तहसील डबरा , जिला–जांजगीर चांपा, छ०ग०,

–––याचिकाकर्ता

बनाम

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सेक्रेटरी, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. अ. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर जिला–रायपुर छ०ग०।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ०ग०।

3. सहायक पुलिस, महानिरीक्षक (प्रशासन) मुख्यालय रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

4. पुलिस अधीक्षक, बस्तर, जदगलपुर, छत्तीसगढ़,।

––––उत्तरदाताआें

याचिकाकर्ता की आेर से — सुश्री मीना शास्त्री अधिवक्ता
राज्य के लिए — श्री अनिमेष तिवारी, उप.ए.जी.

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के० अग्रवाल का
बोर्ड पर आदेश (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

16/07/2021

1. यह एक क्लासिक मामला है, जहां याचिकाकर्ता के पति, कांस्टेबल थे और नक्सल विरोधी कार्यक्रम "क्रेक सेक्शन" का हिस्सा थे, उन्हें गोली लगने से गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद, याचिकाकर्ता ने तुरंत वेब कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसमें उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और जब उन्होंने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और जब उन्होंने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तो, उनके आवेदन को समय-बाधित बताते हुए बिलासपुर द्वारा खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता, जो कि एक मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा है, दिनांक 30/05/2015 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाती है, जिसके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके आवेदन को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह कहते हुये खारिज कर दिया गया था कि उसका आवेदन प्रतिवादी संख्या 3/ राज्य द्वारा अपने परिपत्र में निर्धारित तीन वर्ष की सीमा अवधि से परे था।

3. याचिकाकर्ता के पति पुलिस कांस्टेबल थे और प्रासंगिक समय पर, वे पुलिस स्टेशन मर्दापाल, कोण्डागांव में तैनात थे, जहाँ एक नक्सल विरोधी कार्यक्रम का गठन किया गया था, जिसका नाम 'क्रेक सेक्शन' था और याचिकाकर्ता के पति उस कार्यक्रम का हिस्सा थे। 28/05/2007 को, याचिकाकर्ता के पति 11 अन्य कांस्टेबलों के साथ पुसपाल नामक स्थान पर गए जहाँ लगभग 250-300 नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी और बम विस्फोट करके हमला

किया, जिसके कारण 9 कांस्टेबल मारे गये आैर याचिकाकर्ता के पति को दाहिने हाथ में गोली लगी जिस कारण उन्हें स्थानीय अस्पताल लाया गया वहां से उन्हें एम०एम०आर्इ अस्पताल रायपुर रिफर किया गया जहां उनकी अनामिका उंगली को काटना पड़ा आैर दिनांक 16/06/2007 को उन्हें अस्पाल से छुट्टी दी गर्इ। लेकिन अंततः दिनांक 05/04/2008 को याचिकाकर्ता के पति की नक्सली हमले में गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गर्इ।

4. याचिकाकर्ता ने 07/05/2008 को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष आवेदन किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि वह मृतक सरकारी कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है क्योंकि उनका 10/03/2008 को विवाह संपन्न हुआ था आैर उसके पति की मृत्यु एक महीने से भी कम समय बाद 05/04/2008 को हो गर्इ थी। हालांकि कुछ समय बाद याचिकाकर्ता ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, जिसे सक्षम न्यायालय ने 08/03/2013 को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया (अनुलग्नक पी/ 5) आैर उक्त प्रमाण पत्र के साथ, याचिकाकर्ता ने 11/03/2013 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन किया, लेकिन अंततः 30/05/2015 के आदेश (अनुलग्नक पी-1) द्वारा उसके पति/सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से तीन वर्ष के भीतर नहीं किया गया आैर 7 वर्ष की देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. राज्य द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग सही थी क्योंकि याचिकाकर्ता आैर मृतक की वैवाहिक स्थिति के संबंध में विवाद था क्योंकि उनका विवाह 10/03/2008 को हुआ था आैर उसके बाद, याचिकाकर्ता के पति की एक महीने से भी कम समय के भीतर 05/04/2008 को मृत्यु हो गर्इ आैर अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन भी सही रूप से खारिज कर

दिया गया है क्योंकि वह 7 वर्ष के विलम्ब से पेश किया गया था। जबकि परिपत्र दिनांक 10/06/2003 के अनुसार उक्त आवेदन मृतक/याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु की तिथि से तीन वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए था।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता सुश्री मीना शास्त्री ने कहा कि प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करना पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि 7 वर्ष की देरी के आधार पर याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार नहीं है, क्योंकि देरी याचिकाकर्ता की आेर से नहीं बल्कि बिलासपुर प्रतिवादी क्रमांक 4 **उत्तराधिकार न्यायालय से** उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देरी से प्राप्त करने के कारण हुर्इ है। इसलिए याचिककर्ता द्वारा जानबूझकर या जानबूझकर देरी नहीं की गर्इ है आैर उसका आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रतिवादी /राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री अनिमेष तिवारी ने विवादित आदेश का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया कि परिपत्र दिनांक 10/06/2003 के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की दाखिल करने की अवधि मृतक/सरकार मृत्यु की तिथि से तीन वर्ष है। याचिककर्ता का आवेदन सही रूप से खारिज कर दिया गया है क्योंकि यह उसके पति की मृत्यु के 7 साल बाद दायर किया गया था, इस प्रकार, तत्काल याचिका खारिज करने योग्य है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताआें को सुना है, उनके द्वारा उपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखो का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

9. इस बात पर कोर्इ विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 05/04/2008 को सेवाकाल के दौरान हुर्इ थी आैर उसके बाद, अनुकंपा नियुक्ति के लिए समय पर, लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 ने यह साबित करने का

निर्देश दिया कि वह मृतक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। उसने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया आैर अंततः उसे 08/03/2013 को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने 11/03/2013 को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन किया, लेकिन अब इसे उक्त आवेदन दाखिल करने में 7 साल की देरी के आधार पर आपत्तिजनक आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है।

10. तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 05/04/2008 को हो गई थी आैर उसने तुरंत 07/05/2008 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जो कि एेसी नियुक्ति के लिए लागू परिपत्र दिनांक 10/06/2003 में निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के भीतर है, लेकिन यह प्रतिवादी संख्या 4 था जिसने याचिकाकर्ता से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि वह मृतक/सरकारी कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है क्योंकि 10/03/2008 को मृतक एवं याचिकाकर्ता का विवाह हुआ था आैर याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु थोड़े ही समय बाद 05/04/2008 को हो गई थी। प्रतिवादी क्रं० 4 के निर्देशानुसार याचिकाकर्ता ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 372 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के तहत उत्तराधिकार न्यायालय के समक्ष उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई आैर 26/02/2013 को उसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया आैर प्रमाण पत्र 08/03/2013 को जारी किया गया (अनुलग्नक पी/5)। इसके तुरंत बाद उसने 11/03/2013 को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन देरी के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब प्रश्न यह है कि क्या राज्य प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को समय समाप्त हो जाने के कारण खारिज करना न्यायोचित है ?

12. यह सुस्थापित कानून है कि परिसीमा के नियमों का उद्देश्य पक्षों के अधिकारों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पक्ष समय रहते अपना समाधान ढूंढ लें।

13. **"पोपट आैर कोटेचा प्रॉपर्टी बनाम स्टेट बैंक आॅफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन ''**के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने माना है किः-

"9. परिसीमा के नियमों का उद्देश्य पक्षों के अधिकारों को नष्ट करना नहीं है। उनका उद्देश्य यह देखना है कि पक्षकार जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। कानूनी उपाय प्रदान करने का उद्देश्य कानूनी चोट के कारण हुई क्षति की भरपाई करना है। परिसीमा का कानूनी चोट के निवारण के लिए एेसे कानूनी उपाय के लिए एक जीवनकाल तय करता है। समय कीमती है आैर बर्बाद हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय बीतने के साथ, नए कारण सामने आएंगे जिससे नए लोगों को अदालतों का दरवाजा खटखटाकर कानूनी उपाय तलाशने की जरूरत होगी। इसलिए, प्रत्येक उपाय के लिए एक जीवनकाल तय किया जाना चाहिए। उपाय शुरू करने के लिए अंतहीन अवधि अंतहीन अनिश्चितता आैर परिणामी अराजकता का कारण बन सकती है। इस प्रकार परिसीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है। यह मैक्सिम इंटरेस्ट रिपब्लिक यूट सिट लिटियम (यह समान्य कल्याण के लिए है कि मुकदमेबाजी के लिए एक अवधि रखी जाए) में निहित है। विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायी से तय समय के लिए जीवित रखा जाना चाहिए। **(एन बाल कृष्णनन वि० एम०कृष्ण मूर्ति देखिए)''**

14. इस संबंध में, **सुषमा गोसाई बनाम भारत संघ** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के सभी दावों में नियुक्ति में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और ऐसे मामलो को वर्षों तक लंबित रखना अनुचित है। यह निम्नानुसार माना गया था:-

''9. स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के सभी दावों में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का उद्देश्य परिवार में मृत्यु के कारण होने वाली कठिनाई को कम करना है। इसलिए, ऐसी नियुक्ति संकट में फंसे परिवार को उबारने के लिए प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे मामलों को वर्षों तक लंबित रखना अनुचित है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने समय पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 ने उसे अपने मृत पति के बकाए सहित लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसके लिए उसे 15 दिसंबर 2014 को आवेदन करना था। उसने कुछ देरी से आवेदन किया लेकिन उसे 08/03/2013 को प्रमाण पत्र प्रदान की गई और उसके तुरंत बाद 11/03/2013 को उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, इस प्रकार,उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुई देरी को सीमा अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जाना चाहिए और यदि उस अवधि को 07/05/2008 से 11/03/2013 तक छोड़ दिया जाता है, यानी वह तारीख जब याचिकाकर्ता ने अनुकंपा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुरू किया, तो याचिकाकर्ता की सीमा तीन साल है, जैसा कि 10/06/2003 के परिपत्र में निर्धारित है। प्रतिवादी संख्या 4/ सक्षम प्राधिकारी को आवेदन दिया गया था, वह अवधि के भीतर आती है को यह विचार करना चाहिए था कि उसके निर्देश का पालन करने और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बिताया गया

समय तीन साल की अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जाना चाहिए, खासकर जब याचिकाकर्ता एक विधवा है जिसका पति नक्सली हमले के कारण मर गया । **पति की मृत्यु** 05/04/2008 को हो गई। याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन दाखिल करने 08/03/2013 से तक की देरी जानबूझकर की गई देरी (यदि कोई हो) **के बारे में गई देरी नहीं** कहा जा सकता, इसलिए जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगी अवधि है, तीन वर्ष की सीमा अवधि की गणना करते समय बाहर रखी जानी चाहिए अन्यथा यह सरकारी प्राधिकारी को सरकारी परिपत्र में दर्शाई गई तीन वर्ष की अवधि के भीतर सह-अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने में देरी करने का आधार देगा।

16. इस प्रकार प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा सबसे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगने की कार्रवाई, जो उसके द्वारा समय पर दायर किया गया था और फिर उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, जिसे अस्वीकार करने में निश्चित रूप से समय लगा, याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति को उसी के रूप में आवेदन करना ऐसे में, ऐसा कृत्य स्पष्ट रूप से मनमाना है और याचिकाकर्ता के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है, जिसने नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी शादी के एक महीने के भीतर अपने पति को खो दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपर्युक्त कानूनी चर्चा के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 30/05/2015(अनुलग्नक पी-1) का विवादित आदेश, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, एतद्द्वारा प्रतिवादी क्रं० 4 जो कि सक्षम प्राधिकारी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख 30 **दिनों के भीतर गुण-दोष** के आधार पर याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर विचार करने के लिए भेजा जाता है।

18. उपर्युक्त निर्देश के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

19. अभिलेखों को साझा करने से पहले, राज्य सरकार का ध्यान **सुषमा गोसाई (सुप्रा)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पैरा 9 की ओर आकर्षित किया जाता है, जैसा कि उपर उद्धृत किया गया है (पैरा 14) ताकि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर शीघ्र विचार किया जा सके। मुझे आशा और विश्वास है कि राज्य सरकार अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर शीघ्र विचार करेगी। भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने और शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(संजय के० अग्रवाल)
जज

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur